

विशेष प्रश्नोत्तरी

30/11/2024

प्रश्न:-Ifms 3.0 से पेंशन केस ऑन लाइन करते समय HO मेकर लेवल पर कर्मचारी के फॉर्म 27/27 A एवं 28A को अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या करे?

उत्तर:-1• कर्मचारी द्वारा ऑन लाइन HO को फॉरवर्ड किये गए पेंशन केस को HO मेकर लेवल से पूरा करते हुए केस की चेकर को एक बार फॉरवर्ड कर देवे।

2•उसके बाद HO चेकर लेवल से केस पूरा करते हुए अंतिम टैब से उसे रिवर्ट कर देवे।

3•अब केस HO मेकर लेवल से पुनः पूरा करते हुए अपलोड डॉक्यूमेंट टैब तक पहुंचे वहा फॉर्म 27/27A एवम 28A अपलोड करने का टैब लाइव मिलेगा वहाँ वांछित डाक्यूमेंट्स अपलोड कर केस को पूर्ण करते हुए आगे का प्रोसेस पूरा कर केस को HO Approver को फॉरवर्ड कर देवे।

4•अब HO approver लेवल से केस को पूर्ण करते हुए ओटीपी से वेरिफाइड कर पेंशन विभाग को फॉरवर्ड कर देवे।

दिलीप कुमार

Rtd-RES

सादड़ी-पाली

एडमिन पैनल

एमे मैनेजर इन्फो

